बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

पटना, दिनांक–

आदेश संख्या–17/कोर्ट –04/2017

आदेश

डा0 शंकर झा, तत्कालीन अधीक्षक, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, लहेरियासराय सम्प्रति सेवानिवृत्त प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, शेखपुरा, पटना को भूकंप पीड़ित मरीजों के ईलाज में बरती गई लापरवाही के आरोप में विभागीय पत्रांक–239(17) दिनांक–05.05.2015 द्वारा निलंबित कर उनके उपर विभागीय कार्रवाई संचालित की गई थी, जिसमें डा0 झा के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को अंशतः प्रमाणित पाया गया था, एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम –14(i) के तहत् भविष्य के लिए सचेत रहने के साथ–साथ निंदन की शास्ति अधिरोपित करते हुए उन्हें विभागीय पत्रांक–473(17) दिनांक–24.06.2016 द्वारा निलंबन मुक्त इस शर्त के साथ किया गया कि निलंबन अवधि में इन्हें अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कोई राशि देय नहीं होगी एवं डा0 झा उक्त जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान पदस्थापित स्थान से प्राप्त करेंगे।

तत्पश्चात् विभाग द्वारा दिये गये उक्त दंड के विरूद्ध डा0 झा ने माननीय उच्च न्यायायल, पटना में समादेश याचिका संख्या–1004/2017 डा0 शंकर झा बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य याचिका दायर की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–10.07.2018 को पारित न्यायादेश में डा0 झा को विभाग द्वारा दिये गये उक्त दंड को निरस्त करते हुए उनके निलंबन अवधि की शेष देय वेतनादि के भुगतान का आदेश पारित किया गया है, जिसका कार्यकारी अंश निम्न है :–

"In that view of the matter, the order of punishment is quashed. At the same time, the petitioner will be entitled to the salary during the period of suspension."

उल्लेखनीय बिंदु यह है कि डा0 शंकर झा को विभागीय पत्रांक–239(17) दिनांक–05.05.2015 द्वारा निलंबित किया गया था, तथा विभागीय पत्रांक–473(17) दिनांक–24.06.2016 द्वारा उन्हें निंदन की शास्ति अधिरोपित करते हुए निलंबन मुक्त किया गया था। इस प्रकार डा0 झा की निलंबन अवधि दिनांक–05.05.2015 से 24.06.2016 तक अर्थात् कुल 417 दिनों की थी। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें जीवन निर्वहन भत्ता का भुगतान किया गया था।

अतः माननीय पटना उच्च न्यायायल, द्वारा समादेश याचिका संख्या–1004/2017 डा0 शंकर झा बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–10.07.2018 को पारित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में डा0 झा, तत्कालीन अधीक्षक, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल, लहेरियासराय को दिनांक–05.05.2015 से 24.06.2016 तक के अवधि में प्राप्त जीवन निर्वहन भत्ता राशि का सामंजन करते हुए वेतन भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ह0/–
(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव

D/Shad Alam/Aadesh Format

ज्ञापांक– 17/कोर्ट –04/2017 –130 (17) पटना, दिनांक :– 21/2/19

प्रतिलिपि :–महालेखाकार (ले0एवंह0), बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्राचार्य, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–डा0 शंकर झा, पिता–स्व0 हरि झा, ग्राम–गंगापुर, थाना–पंदौल, जिला–मधुबनी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01,03 एवं 09 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/02/19

सरकार के अवर सचिव।

D/Shad Alam/Aadesh Format